न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 74/2016

1 प्यारेलाल पुत्र नेताराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी स्वामी की ढ़ाणी वार्ड नम्बर 6 तन बलांरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहन पुत्र अरजाराम।
2 किशनालाल पुत्र अरजाराम।
3 परमेश्वरी पुत्री अरजाराम।
4 नाथूराम पुत्र शिवदान।
5 श्रवण पुत्र शिवदान।
6 श्योकोरी पत्नी शिवदान।
7 मोहन पुत्र मोटाराम।
8 भागीरथ पुत्र मोटाराम।
9 रामकुमार पुत्र मोटाराम।
10 जगदीश पुत्र मोटाराम।
11 चैनी पत्नी मोटाराम समस्त जाति जाट निवासीगण चूड़ी मियांन तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 तहसीलदार तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील अन्तर्गत धारा 225 टिन्नेसीएक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.05.2016 आवेदन संख्या 13/2012/251 आरटीए बउनवानी प्यारेलाल बनाम अरजाराम आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी सन्तोष कुमार मीना आर.ए.एस.

उपस्थिति :

1. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 05.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 13/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 573/1 रकबा 1.82 हैक्टेयर ग्राम बलांरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित है जिसका प्रार्थी/अपीलांट रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा आराजी में विधुत पम्पसेट लगा रखा है तथा मकान बनाकर आवास निवास करता है, आराजी खसरा नम्बर 573/1 में आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता ख. नम्बर 570/1, खसरा नम्बर 570/2, खसरा नम्बर 572 में से होता हुआ जाता है जिसे खातेदार काश्तकार रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 कालान्तर से 50—60 वर्ष पुराने प्रचलित रास्ते को उपयोग व उपभोग करते थे परन्तु परन्तु कुछ समय पहले पुराने प्रचलित रास्ते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

को बन्द कर आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। जिनको ऐसा करने का विधिक अधिकार नही है, प्रार्थी/अपीलांट के खेत में आने जाने का एक मात्र रास्ता इन्ही के खेत में से जाता है, खसरा नम्बर 570 के पूर्वी तरफ से होता हुआ खसरा नम्बर 572 के पश्चिम साईड से होता हुआ प्रार्थी/अपीलांट के खेत में पहुचता है जो हाल हि में हुए राजस्व पेमाईश में बने सर्वेशीट में भी रास्ते का आंवटन है, खसरा नम्बर 570 में पूर्ववृत रास्ता आज भी विघमान है, अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट कि ओर से रास्ते को बन्द करने का कोई विधिक हक व अधिकार नही है तथा प्रार्थी/अपीलांट के हक अधिकारों के समक्ष कतई अकृत शून्य व प्रभावहीन है, आज दिवस को प्रार्थी/अपीलांट को अपने खेत में जाने को एक मात्र रास्ता जिससे आने जाने व उटगाड़ी पशुधन ट्रेक्टर के आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत ग्राम पंचायत बलांरा को भी लिखित में सूचना दी गई, जिस पर पंचायत ने अपनी रिपोर्ट में रास्ता होना अंकित किया है, आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 573/1 तन ग्राम बलांरा में जाने के लिये 50-60 वर्षो से प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 570/1,570/2 के पूर्वी तरफ से व खसरा नम्बर 572 के पश्चिम तरफ से बने रास्ते को नियमित रूप से चालू करके राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थी/अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है आवेदन प्रस्तुत होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया तथा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश जारी करते हुये प्रार्थी/अपीलांट को आवेदन खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत बलारा में रास्ते बाबत आवेदन प्रस्तुत किया था तथा ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते का मौका दिखाया गया तथा मौका रिपोर्ट में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 570/1 व खसरा नम्बर 570/2 के पूर्वी तरफ से व खसरा नम्बर 572 कि पश्चिमी तरफ से बने रास्ते का प्रार्थी/अपीलांट उपयोग व उपभोग करता पाया गया तथा पुश्तैनी रास्ता काफी पुराना उपयोग में लेते हुये, खसरा नम्बर 573/1 में कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर, ऊंटगाड़ी इत्यादि इसी रास्ते में आना जाना पाया गया था, तथा दोनो पक्ष दिनांक 06.07.2012 को पंचायत में उपस्थित हुए तथा दोनो पक्षो ने रास्ता खोलने की सहमति भी जताई गई थी, प्रार्थी/अपीलांट द्वारा जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा रास्ते का मौका देखा गया जिन्होने फर्द मौके पर जाकर तैयार की जिन्होने खसरा नम्बर 176 की दक्षिणी सीमा तक खसरा नम्बर 570,572 की उत्तरी सीमा तक गाड़ी के आवागमन का रास्ता चालू होना बताया तथा खसरा नम्बर 570 से होते हुये खसरा नम्बर 572 में दक्षिणी पश्चिमी कोने में से होते हुये प्रार्थी/अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 573/1 में आने जाने के लिये पगडंडी चालू होना दर्शित करते हुये दिनांक 22.07.2012 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा फर्जी रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ मौके पर गये बिना ही उक्त फर्जी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ उल्लेख किया है कि रास्ते के सम्बंध में रिकार्ड व मौके की जांच कराई उसके बाद उल्लेख किया है कि बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार से है जिसके उल्लेखित बिन्दु 1 में प्रकरण में वर्णित रास्ते की जांच कराई गई, इससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ मौके पर नही गये व नही सही जांच की गई, उक्त जांच किस दिवस को की गई व किसी दिवस को रिपोर्ट तैयार की गई कोई उल्लेख नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का बलारा की मौका रिपोर्ट 22.02.2013 में उल्लेखित कथन कि प्रार्थी/अपीलांट भूमि खसरा नम्बर 573 जो ग्रेवल सड़क पर अवस्थित है उस सड़क का उपयोग व उपभोग करता है पटवारी हल्का ने यह उल्लेख नही किया है कि खसरा नम्बर 573 के जो ग्रेवल सड़क लगती है वह ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बलारा से सांखू जाने वाली सड़क है जो प्रार्थी/अपीलांट के घर ग्राम स्वामी की ढ़ाणी से ग्राम बलारा जाकर उस सड़क चलने के बाद खसरा नम्बर 573/3 का कोना उक्त सड़क के टच होता है जो प्रार्थी/अपीलांट का नही है प्रार्थी/अपीलांट 5 किलोमीटर चलने पार ही अपने खेत में उक्त रास्ते से जा सकता है, जबकि खसरा नम्बर 176 के पश्चिमी व खसरा नम्बर 572 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक रास्ता मौजुदा हालात में भी चालू है, जिसकी अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नही कर पटवारी हल्का ने दिनांक 22.02.2013 को गलत रिपोर्ट पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का बलारा द्वारा दिनांक 22.02.2013 को प्रस्तुत रिपोर्ट की आपत्ति प्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिनांक 26.02.2016 को प्रस्तुत कर दी गई, जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो आर्डरशीट में उल्लेख किया ना ही उसको कही पत्रावली में दर्शित किया गया तथा बिना बहस सुने ही गलत रूप से दिनांक 23.05.2016 को प्रार्थी/अपीलांट को बिना किसी जानकारी के प्रार्थी/अपीलांट के अधिवक्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित कर दिया जो कि विधि विरूद्व है तथा न्याय निर्णय को ठेस पहुचाने वाला कृत्य कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोस्डीग को अनदेखी कर निर्णय दिनांक 23.05.2016 पारित किया गया है। जानकारी के अभाव में बीते समयावधि को कन्डोन कर अपील अन्दर मियाद लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 573 ग्राम बलारा से ग्राम सांखू जाने वाले मुख्य मार्ग जिसमें ग्रेवल सड़क बनी हुई है से जुड़ा हुआ है उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ है जिससे होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 573 में आवागमन करता आ रहा हो। प्रार्थी ने हैरान व पेरशान करने के लिए पूर्व में भी दिनांक 02.05.2012 को जिला कलेक्टर सीकर को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें जिला कलेक्टर सीकर के आदेश दिनांक 11.05.2012 को पटवारी हल्का बलारा द्वारा मौका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

देखा गया एवं फर्द मौका तैयार की गयी जिसमें पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि भूमि खसरा नम्बर 573 ग्रेवल सड़क से जुडी हुाई एवं प्रार्थी प्यारेलाल उक्त सड़क का उपयोग कर रहा है भूमि खसरा नम्बर 570,572 में से कोई रास्ता नहीं है। भूअनि. बलारा व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.02.2013 को मौका देखकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जिसके संलग्न नक्शे से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 573 ग्रेवल सड़क पर अवस्थित है जिससे होकर प्रार्थी आवागमन करता है। अप्रार्थीगण के खेतों में से प्रार्थी का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 573 जिसके वर्तमान नम्बर 573/1,573/2,573/3 है, ग्रेवल सड़क (आम रास्ता) ग्राम बलारा से ग्राम सांखू जाने वाले पर अवस्थित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट की परिधि में नहीं आने से खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई भूल नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपीलांट प्यारेलाल की मौजुदगी में मौका देखकर रिपोर्ट तैयार नही की गई है। मौका रिपोर्ट के सन्दर्भ में मौके पर उपस्थित होने हेतु अपीलांट को सूचित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे पर न तो अपीलांट के हस्ताक्षर है एवं न ही यह अंकन है कि अपीलांट ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 26.02.2016 संलग्न है किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.02.2016 में न तो

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसका कोई उल्लेख है न ही विचारण न्यायालय द्वारा इस आपत्ति पर सुनवाई अथवा निर्णय का आदेशिका में कोई उल्लेख है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की मौजुदगी में पुन मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर उभयपक्ष को आपत्ति का अवसर प्रदान करें, बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर